संख्या :49/2016/676/छप्पन-2016-2/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2016

विषय :जनपद चित्रकूट स्थित देवांगना घाटी पर स्थित राजकीय हवाई पट्टी का विस्तारीकरण सम्बन्धी आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 67/ना0उ0नि0/चित्रकूट ह0प0, दिनांक 26.4.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013, दिनांक 4.6.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र में किए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 4.6.2015 द्वारा रूपये 9266.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 1188.00 लाख कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड को अवमुक्त की गयी है। कार्यदायी संस्था ने उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 13,36,53,000/- का भुगतान कार्यदायी संस्था को किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण सम्बन्धी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किश्त के यप में रूपये 13,36,53,000/- (रूपये तेरह करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या- 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013, दिनांक 4.6.2015 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के पूँजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 49/2016/676(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज,लखनऊ।
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक, राइट्स लिमिटेड, (एयरपोर्ट डिवीजन) गुडगाँव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल/बजट सहायक।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।